न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56 / 2022 बउनवानी दीपक किराड बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली
निवासी—एन—14, भगत सिंह कॉलोनी निवाई टोंक ,

GCMS No-2022/ 125 **on line Appeal No. 321167500370258**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.5..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. आर.टी.आई.अपील के जवाब पत्र में कार्यालय उप जिला कलेक्टर बौंली दिनांक 26.4.2022 के पत्रांक कोर्ट / सू.अ.अपील / 2022 / 1183 द्वारा अवगत कराया कि वाद पत्र सख्या 10 / 19 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 4 / 19 बउनवानी बजरंगलाल बनाम राज. राज्य वगै में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की तामील सम्मन तहसीलदार बौंली के यहा वास्ते तामील भिजवायी गयी थी। उक्त भेजी गयी तामील की वर्तमान स्थिति से अवगत करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के जवाब नोटिस कमांक /सू. का.अ. / 2022 / 18 दिनांक 25.7.2022 से अपीलान्ट को अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही किये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होना बताते हुए सूचना देने से इन्कार किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन वाद पत्र सख्या 10 / 19 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 4 / 19 बउनवानी बजरंगलाल बनाम राज. राज्य वगै में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हेतु न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित किये जाने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जो सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है। अतः लोक सू[illegible] को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित एवं सटीक सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क [illegible] करवायी जावे तथा अब तक सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के लि[illegible] जिम्मेदारी तायद कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रि[illegible] भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible]र से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आ[illegible] खुले न्यायालय मे सु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर